उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस अपील नं0–03/2024–25

मेरिका मुर्मू

बनाम्

सुमनलता मरण्डी वगै0

–: आदेश :–

दिनांक 9/7/25

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया।

वर्तमान वाद में, आवेदिका मेरिका मुर्मू, पति–सुधीर मरण्डी, सा0–अकासी, पो0–बरमसिया, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र, अकासी संथाली टोला में दिनांक–13.03.2023 के आम सभा द्वारा चयनित ऑगनबाड़ी सेविका सुमनलता मरण्डी का चयन रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

चूँकि, उपायुक्त के न्यायालय में उन्हीं आवेदनों पर सुनवाई की जाती है, जिनमें उपायुक्त को संबंधित धारा के अन्तर्गत सरकार से शक्ति प्राप्त होती है। आवेदिका के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त मामले का निष्पादन सक्षम कार्यालय/विभाग द्वारा ही होना है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में आवेदिका के आवेदन पर वाद चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदिका के इस आवेदन को प्रविष्टि के बिन्दु पर ही खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

9/7/25
उपायुक्त,
गोड्डा।

9/7/25
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.10.15 14:12:18 +05:30
Location: 192.168.1.36